



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18232

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-28144 वर्ष 2025

नितिन बैसला आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आंचल ओझा, कृष्ण देव मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री कृष्ण देव मिश्रा, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने अपराध संख्या-32 वर्ष 2024, धारा 302, 34 भ०द०वि० और 4/25 शस्त्र अधिनियम, थाना-सेक्टर-49 नोएडा, ज़िला: गौतम बुद्ध नगर के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति, अनुज को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2.12.2025 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-34217 में पारित आदेश दिनांक 2.12.2025 द्वारा पहले ही ज़मानत पर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिसे पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, वह समानता के आधार पर ज़मानत पर भी रिहा किये जाने का हकदार है। आवेदक का कोई पिछला आपराधिक इतिहास नहीं है, सिवाय इसके कि उस पर प्रस्तुत मामले के बाद एक मामला थोपा गया हो। वह 21.1.2024 से जेल में बंद हैं। यदि



आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938** में पारित निर्णय और **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

7. आवेदक- नितिन बैसला, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

27 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।